संख्या-444/2025/2268/22-2-2023-17(886)/2023

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक: 09 मई, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी बसन्त लाल उर्फ चेधा पासी पुत्र श्री रामजियावन, निवासी- जनपद-रायबरेली की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-16636/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-01-05-2023) दिनांक-19-05-2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी बसन्त लाल उर्फ चेधा पासी पुत्र श्री रामजियावन, जो मठिया मजरे गढी इस्लाम नगर थाना-सलोन, जिला-रायबरेली का निवासी है। पारिवारिक कलह के कारण बंदी ने दिनांक 07.06.2008 को प्रातः लगभग 07.00 बजे सरपत ढोने के बहाने अपनी पत्नी श्रीमती संगीता उर्फ राजकली को साथ ले जाकर उसकी चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी० नं०-476/2008 में भा०द०वि० की धारा-302, 309, के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-04, रायबरेली के आदेश दिनांक 17.11.2011 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-11.06.2021 द्वारा बंदी की अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 23.03.2023 तक 14 वर्ष, 09 माह, 10 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष, 02 माह, 25 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

3- जिला मजिस्ट्रेट, रायबरेली की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला स्तरीय बैठक दिनांक 25.01.2023 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, रायबरेली द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है तथा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, द्वारा भविष्य में पुनः अपराध की सम्भावना होने, बन्दी के पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरुद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि पारिवारिक कलह के कारण बंदी द्वारा दिनांक 07.06.2008 को प्रातः लगभग 07:00 बजे सरपत ढोने के बहाने अपनी पत्नी श्रीमती संगीता उर्फ राजकली को साथ ले जाकर उसकी चाकू से गला रेत कर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी बसन्त लाल उर्फ चेधा पासी पुत्र श्री रामजियावन, को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

5- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी बसन्त लाल उर्फ चेधा पासी (बन्दी संख्या-370/18) पुत्र श्री रामजियावन, निवासी- जनपद-रायबरेली को यू०पी० प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-444/2025/2268(1)/22-2-2023 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, रायबरेली।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-444/2025/2268/22-2-2023-17(886)/2023

दिनांक: 09 मई, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी बसन्त लाल उर्फ चेधा पासी पुत्र श्री रामजियावन, जो मठिया मजरे गढी इस्लाम नगर थाना-सलोन, जिला-रायबरेली का निवासी है। पारिवारिक कलह के कारण बंदी ने दिनांक 07.06.2008 को प्रातः लगभग 07.00 बजे सरपत ढोने के बहाने अपनी पत्नी श्रीमती संगीता उर्फ राजकली को साथ ले जाकर उसकी चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी० नं०-476/2008 में भा०द०वि० की धारा-302, 309, के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-04, रायबरेली के आदेश दिनांक 17.11.2011 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-11.06.2021 द्वारा बंदी की अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 23.03.2023 तक 14 वर्ष, 09 माह, 10 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष, 02 माह, 25 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला मजिस्ट्रेट, रायबरेली की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला स्तरीय बैठक दिनांक 25.01.2023 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, रायबरेली द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है तथा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, द्वारा भविष्य में पुनः अपराध की सम्भावना होने, बन्दी के पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरुद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि पारिवारिक कलह के कारण बंदी द्वारा दिनांक 07.06.2008 को प्रातः लगभग 07:00 बजे सरपत ढोने के बहाने अपनी पत्नी श्रीमती संगीता उर्फ राजकली को साथ ले जाकर उसकी चाकू से गला रेत कर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी बसन्त लाल उर्फ चेधा पासी पुत्र श्री रामजियावन, को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।